

06 ⁴/₂₆

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राधीया उप।
वकील प्राधीया ने प्रकरण में NOT PRESS
किया। चूंकि वकील प्राधीया प्रकरण को
आगे चलाना नहीं चाहते हैं, लिहाजा प्रकरण
NOT PRESS में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसला शुमार ठोकर नंबर से
कम हो।



सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

21-11-2022
Rt Act
Not Press
Humant
64.26